SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.09.2019

अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, धौलपुर में दिनांक 14.09.2019 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक किरायेदारी परिसर को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में एक पक्ष द्वारा वर्ष 1973 में एक दावा बाबत् बेदखली व किराया हेतु सिविल न्यायाधीश (क.ख.), राजाखेड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त दीवानी वाद पर सुनवाई करते हुए लगभग 26 वर्ष पश्चात् उक्त वाद को वादी के पक्ष में डिक्री किया जाकर दिनांक 16.12.1998 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी पक्ष द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष जनवरी 1999 में अपील प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत उक्त अपील लगभग 20 वर्षों तक विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में लंबित चलती रही जिस दौरान उक्त प्रकरण के मूल पक्षकारान की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान को मुकदमें में पक्षकार बनाया गया। अंततः लगभग 46 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 14.09.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.09.2019

अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर में प्रार्थिया द्वारा दिनांक 06.12.2018 तलाक हेतु याचिका पेश की। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी का विवाह 7 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति–रिवाज से हुआ। उक्त विवाह से इनके दो बच्चे पैदा हुए। प्रार्थिया को उसका पति दहेज के लिए तंग, परेशान एवं मारपीट करने लगा एवं मानसिक प्रताड़ित करने लगा जिससे परेशान होकर प्रार्थिया ने न्यायालय में तलाक हेतु याचिका पेश की। उक्त प्रकरण दिनांक 14.09.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए जिनको न्यायालय में माला पहनाकर पुनः साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी –खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.09.2019 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.09.2019

पारिवारिक न्यायालय संख्या 3 जयपुर महानगर

1. **प्रकरण संख्या 179/19 अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम**

उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध तलाक हेतु दिनांक 29.08.2017 को शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता के आधार पर पेश किया गया। उक्त प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.09.2019 में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों को समझाया एवं साथ रहने हेतु प्रेरित किया जिस पर पक्षकारान् ने साथ रहने की सहमति दी।

2. **प्रकरण संख्या 248/18 अंतर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम**

उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की प्रत्यास्थापना हेतु दिनांक 02.05.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पक्षकारान् का विवाह 2015 में सम्पन्न हुआ था तथा वर्ष 2016 से अलग रह रहे थे। उक्त प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.09.2019 में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों को समझाया एवं साथ रहने हेतु प्रेरित किया जिस पर दोनों साथ रहने हेतु राजी हुए एवं पत्नी खुश होकर न्यायालय से ही पति के साथ रहने हेतु चली गयी।

3. **प्रकरण संख्या 258/19 अंतर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम**

उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की प्रत्यास्थापना हेतु दिनांक 09.05.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पक्षकारान् का विवाह 2009 में सम्पन्न हुआ था तथा वर्ष 2016 से अलग रह रहे थे। उक्त शादी से एक पुत्र का जन्म भी हुआ, जो मां के साथ निवास कर रहा था। बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों को समझाया, साथ रहने हेतु प्रेरित किया तथा बच्चे के उज्ज्वल भविष्य हेतु समझाया गया जिस पर दोनों साथ रहने हेतु राजी हुए एवं खुशी–खुशी घर गये।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.09.2019

यह प्रकरण संख्या 431/2014, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, फलौदी, जोधपुर जिला में घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पेश हुआ। उक्त प्रकरण दिनांक 14.09.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए जिनको न्यायालय में माला पहनाकर पुनः साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी –खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.09.2019 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.09.2019

यह प्रकरण संख्या 149/16, 110/17 एवं 19/19 पारिवारिक न्यायालय द्वितीय में भरण–पोषण राशि हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी का विवाह 30.01.1990 को सम्पन्न हुआ। विवाह पश्चात् पक्षकारान् के तीन संतानों का जन्म हुआ। विवाह के पश्चात् से ही अप्रार्थी, प्रार्थिया के साथ मारपीट कर क्रूर आचरण करता था। दिनांक 15.04.2006 को प्रार्थिया को बच्चों सहित अप्रार्थी ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तब से ही प्रार्थिया अपने पीहर में निवास कर रही है।

उक्त प्रकरण दिनांक 14.09.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए जिनको न्यायालय में माला पहनाकर पुनः साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी –खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.09.2019 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.09.2019

यह प्रकरण संख्या 05/2007 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के समक्ष मूलधन, ब्याज एवं वाद खर्च की राशि दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली में कुल 120 पेशियां भुगती जा चुकी थी।

उक्त प्रकरण को दिनांक 14.09.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किया गया। जिसमें प्री–काउंसलिंग करवाई गयी एवं पक्षकारान् के मध्य समझाईश करवायी गयी। काफी बार प्रयास करने के बाद दोनों पक्ष आपसी कटुता एवं मन मुटाव को भुलाकर राजीनामा हेतु सहमत हुए। इस प्रकार प्री–काउंसलिंग एवं आपसी समझाईश से 12 वर्ष से चले आ रहे प्रकरण का निस्तारण हुआ एवं लेन–देन संबंधी विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवाद का हमेशा के लिए अन्त भी हो गया एवं पक्षकारान् समय एवं धन की अनावश्यक बर्बादी से भी बच गए।